

राजस्थान सरकार

मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांक एफ2(4)निम/लेखा/ठेका/2018-19/21510

जयपुर, दिनांक:- 08.03.2018

मत्स्याखेट हेतु जलाशय अल्पकालीन नीलामी बोली सूचना संख्या-01

राज्य में स्थित विभिन्न श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन निम्नलिखित जलाशयों में मत्स्याखेट के अधिकार वर्ष 2018-19 से आवंटन हेतु अल्पकालीन नीलामी बोली आमन्त्रित की जाती हैं।

नीलामी बोली प्रपत्र मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर कार्यालय से कार्य दिवस में रुपये 400/- नकद/डी0डी0 देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। बोलीदाता चाहे तो मत्स्य विभाग की वेबसाइट www.fisheries.rajasthan.gov.in एवं आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर की वेबसाइट www.diprrajasthan.gov.in से टेण्डर फार्म डाउनलोड कर भेज सकता है, परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ नीलामी बोली शुल्क रुपये 400/- का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के साथ पृथक से जमा कराना होगा। नीलामी बोली के साथ बोलीदाता को जलाशय की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत अमानत राशि ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। अमानत राशि के अभाव में नीलामी बोली निरस्त योग्य होगी। अमानत राशि आयुक्त, मत्स्य विभाग, जयपुर के पक्ष में देय होगी। नीलामी बोली दिनांक 28.03.18 को दोपहर 1.00 बजे तक विक्रय तथा दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जाएगी तथा उसी दिनांक को दोपहर 2.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। नीलामी बोली की विस्तृत शर्तें, अमानत राशि का विवरण वेबसाइट पर अथवा कार्यालय में सम्पर्क कर देखा जा सकता है। नीलामी बोली से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त मत्स्य के पास सुरक्षित रहेंगे।

आयुक्त

क्रमांक एफ2(4)निम/लेखा/ठेका/2018-19/21511-660

दिनांक:- 08.03.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 शासन उप सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 3 आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि इस अल्पकालीन नीलामी निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन विस्तृत प्रचार हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में, एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में तथा एक किसी ट्रेड जनरल में जो नीलामी बोलियां आमन्त्रित करने की सूचनाओं को प्रकाशित करने की विशेषज्ञता रखता हो, में अल्पकालीन नीलामी बोली विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का श्रम कराएं।
- 4 मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 समस्त राज्यों के निदेशक/आयुक्त, मत्स्य विभाग को भेजकर अनुरोध है कि आपके राज्य के मत्स्य ठेकेदारों को सूचित करने का कष्ट करें।
- 6 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,-----को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन समस्त विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को नीलामी निविदा विज्ञप्ति से सूचित करने का श्रम करें।
- 7 संयुक्त निदेशक मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।
- 8 सहायक निदेशक मत्स्य (योजना) राज. जयपुर
- 9 समस्त सहायक निदेशक मत्स्य,-----
- 10 समस्त मत्स्य विकास/ परियोजना अधिकारी-----
- 11 रोकड शाखा/ भण्डार शाखा/ संस्थापन निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
- 12 श्री राजकुमार मीणा व0स0 को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 13 नोटिस बोर्ड निदेशालय, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर/ रक्षित पत्रावली
- 14 समस्त मत्स्य ठेकेदार।

संयुक्त निदेशक मत्स्य

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

नीलामी निविदा प्रपत्र

निविदा खोलने की दिनांक – 28.03.18

विषय:- 'क' श्रेणी के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2018-19 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार नीलामी निविदा प्रपत्र।

1- निविदादाता का नाम :- _____

2- पिता/पति का नाम :- _____

3- (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड :- _____

दूरभाष नम्बर - _____

मोबाइल नम्बर- _____

(2) स्थाई पता:- _____

4- संदर्भ :- नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक:- एफ.2 (4) निम /लेखा /ठेका
/2018-19/21510 दिनांक:- 08.03.2018

5- पता जिस पर निविदा आयुक्त मत्स्य विभाग, राज0, जयपुर।
भेजनी है :- पशुधन भवन, गांधीनगर मोड, जयपुर।

6- नीलामी निविदा शुल्क रुपये 400/- नकद रसीद संख्या- _____

दिनांक _____ अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या- _____

दिनांक _____

7- नीलामी निविदा विज्ञप्ति की शर्तानुसार जमा कराये गये/जाने वाली अमानता राशि का विवरण:-

बैंक ड्राफ्ट	क्रमांक	दिनांक	राशि
--------------	---------	--------	------

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(4) निम/लेखा/ठेका/2018-19/21510 दिनांक 08.03.2018 में वर्णित सभी शर्तें पढ़ ली हैं तथा संलग्न शर्तों पर मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

स्टेजेज बढ़ोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की निविदा शर्त:-

नीलामी निविदा शर्तें वर्ष 2018-19

- 1 प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ जलाशय की आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशय के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।
- 2 निविदा के लिए समय सारणी निम्न प्रकार है:-

निविदा अंतिम समय	विक्रय की दिनांक व	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी निविदा मांगी जा रही हैं
दिनांक 28.03.18 अपरान्ह 1.00 तक	28.03.18 बजे	दिनांक 28.03.18 अपरान्ह 2.00 बजे तक	दिनांक 28.03.18 अपरान्ह 2.30 बजे	“क” प्रवर्ग के जलाशय (निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

- 3 प्रत्येक निविदादाता को निविदाओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि के ड्राफ्ट जो आयुक्त मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से देय होगा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अमानता के लिये चैक व लिफाफे में रखी गई राशि मान्य नहीं होगी। बिना अमानता राशि की निविदा मान्य नहीं होगी।
- 4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 5 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर सामान्यतः 5 वर्षों की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढ़ती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढ़ोतरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। तदनुसार आगामी वर्षों के लिए बढी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।
- 6 निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 7 निविदादाता को अपनी निविदा को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- 8 सफल निविदादाता को अपनी निविदा राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर उसी दिन तुरन्त जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानता राशि को जप्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल निविदा रकम का साढे सात प्रतिशत (7.5)की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञा पत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि आयुक्त मत्स्य, राज0 जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई उसी जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 9 आयुक्त मत्स्य/निविदा समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 10 निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 11 ठेकेदार को निविदा में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
- 12 जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर निविदादाता तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
- 13 निविदादाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/आयुक्त मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- 14 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को निविदा देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ ई. डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- 15 अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित निविदादाता को जलाशय का मूल अनुज्ञा पत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि आयुक्त मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।
- 16 यदि किसी जलाशय के लिए विशेष निविदा शर्त उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त होगी या निविदा शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।
- 17 राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या-8 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके/नीलामी के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।
- 18 सफल निविदादाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।
- 19 निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं तार व पत्र मान्य नहीं होगा। तार द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
- 20 निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपना सही पता अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुंचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 21 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकडने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।
- 22 जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार को संबन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबन्धित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- 23 चालू वर्ष के ठेके की राशि एवं आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 24 मेरे द्वारा सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गईं और मैं विभाग के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।
- 25 निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी निविदा पत्र में अंकित किया जायेगा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 26 स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।
- 27 नीलामी के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।
- 28 जलाशय के प्रभावी जलक्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबन्धित कार्यों, आर. एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।
- 29 मैंने/हम निविदादाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की निविदा की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी-खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2018-19 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'क' श्रेणी के जलाशयों हेतु दर अंकित करने हेतु तालिका :-

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला जयपुर				
1	बंध रामगढ़ मय नदी बाण गंगा अस्थल की पुलिया तक	5.00	50000		
2	बंध छीतौली मय नदी लोअर व अपर	5.00	50000		
3	बंध बुचारा	8.00	80000		
4	बंध शिव की डूंगरी (चाकसू)	18.00	180000		
5	बंध नेवटा (रामसागर)	50.00	500000		
6	बंध चन्दलाई (रामसागर)	35.00	350000		
7	बंध शील की डूंगरी (चाकसू)	15.00	150000		
8	बंध मावठा (आमेर)	16.00	160000		
9	बंध गोलीराव (चाकसू)	7.00	70000		
10	बंध छापरवाड़ा (दूदू)	12.00	120000		
11	बंध मंदोकरा (चाकसू)	5.60	56000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला अलवर				
12	बंध मानसरोवर	25.00	250000		
13	बंध जयसमन्द	8.00	80000		
14	बंध मंगलसर	11.00	110000		
	जिला धौलपुर				
15	बंध अंगाई डेम	75.00	750000		
16	बंध उर्मिला सागर उर्फ निब्बी	18.00	180000		
17	बंध तालाब शाही	10.00	100000		
	जिला दौसा				
18	बंध मौरल मय नदी कांकरिया	92.00	920000		
19	बंध रेडिया मय नदी मल्लाना तक दौसा-अलवर	25.00	250000		
	जिला सीकर				
20	रेवासा का सर (गैर मुमकिन झील रेवासा)	5.00	50000		
21	बंध रायपुर पाटन	8.00	80000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला टोंक				
22	बंध बीसलपुर मय नदीडाई खारी जिला अजमेर-भीलवाडा मय बंध भेटेडा जिला टोंक	750.00	7500000		
23	बंध मासी मय नदी बाण्डी मासी खाराकसी जिला टोंक जयपुर तहसील निवाई	60.00	600000		
24	बंध गिलवा मय नदी गिलवा बंध के उपर वाली	105.00	1050000		
25	नदी बनास बंध बीसलपुर की ओवरफलो के नीचे से ईसरदा पुल तक गोकर्णेश्वर देह को छोड़कर जिला टोंक	25.00	250000		
26	बंध गिलवानिया तह0 उनियारा जिला टोंक	9.00	90000		
27	बंध धुंवामोतीसागर	25.00	250000		
28	बंध चन्दलाई तह. जिला टोंक	8.00	80000		
29	बंध चांदसैन तह. मालपुरा	9.00	90000		
30	बंध दाखिया	9.00	90000		
31	बंध सहोदरा तह. मालपुरा	20.00	200000		
32	बंध टोरडीसागर	18.00	180000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला टोंक				
33	बंध सीतापुरा तह0 टोंक	6.00	60000		
34	बंध पक्का बंधा	8.00	80000		
35	बंध किरावल (मालपरा)	6.00	60000		
36	बंध बिडोली तह. निवाई	6.00	60000		
	जिला भीलवाडा				
37	बंध गोवटाघाटा	24.00	240000		
38	बंध भीमपुरा	23.00	230000		
39	बंध ईटुण्डा	10.00	100000		
40	बंध देव नारायण सागर समेलिया	8.00	80000		
41	बंध मण्डोल	11.00	110000		
42	बंध झाडोल	30.00	300000		
43	बंध नवलपुरा	5.00	50000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला भीलवाड़ा				
44	बंध फतेहसागर (कोटड़ी)	7.00	70000		
45	बंध गुवार्डी	20.00	200000		
46	बंध पचानपुरा	12.00	120000		
47	बंध रायथलियास	12.00	120000		
48	बंध नागदी (जहाजपुर)	17.00	170000		
49	बंध सरैरी डेम	14.00	140000		
50	बंध नाहर सागर (भीलवाडा)	6.00	60000		
	जिला करौली				
51	बंध पांचना मय नदी बरखेडा, भद्रावती भैसांवट एवं पाचना	45.00	450000		
	जिला कोटा				
52	बंध सावनभादौ	20.00	200000		
53	नदी चम्बल लोवर कोटा बैराज से रंगपुर तक जिला कोटा केशोरायपाटन मंदिर क्षेत्र से 100 मीटर छोड़कर	7.00	70000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला बूंदी				
54	बंध पेच की बावड़ी	9.00	90000		
55	बंध बांक्याखाल	10.00	100000		
56	बंध इन्द्राणी	8.00	80000		
57	बंध गोठडा मय नदी बेजान	35.00	350000		
58	बंध बरधा मय नदी तालेडा	110.00	1100000		
59	बंध दुगारी	65.00	650000		
60	बंध भीमलत	9.00	90000		
61	बंध हिण्डोली	47.00	470000		
62	बंध पाईबालापुरा	22.00	220000		
63	बंध रूणीजा	8.00	80000		
64	बंध मोतीपुरा	6.00	60000		
65	बंध माछली	5.00	50000		
66	नदी घोडा पछाड (फाटी सिला गरडदा से बन का खेडा तक मय एनीकटस) जिला बून्दी	5.00	50000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला भरतपुर				
67	बंध बरैठा मय नदी कांकड़ा	70.00	700000		
	जिला झालावाड़				
68	बंध मुरलीखेड़ा (झालारापाटन)	7.00	70000		
69	बंध कदीला	10.00	100000		
70	बंध भीमसागर	20.00	200000		
71	बंध छापी	8.00	80000		
72	बंध कालीसिंध मय अपर स्ट्रीम नदी कालीसिंध	42.00	420000		
73	नदी चम्बल (सिपावरा घाट से पारा पीपली तक)	8.00	80000		
	जिला सवाईमाधोपुर				
74	बंध सूरवाल	52.00	520000		
75	बंध पांचोलास	6.00	60000		
	जिला बांरा				
76	बंध बिलास	12.00	120000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला बांरा				
77	बंध गोपालपुरा	9.00	90000		
78	नदी पार्वती (किशनपुरा बांध के नीचे बालुन्दा पुल तक)	10.00	100000		
79	बंध सहरोल तलहटी	6.00	60000		
80	बंध इकलेरा सागर	10.00	100000		
	जिला राजसमंद				
81	बंध बनास (राजसमन्द- चित्तौडगढ़-भीलवाडा)	5.00	50000		
82	बंध सोपरी (राजसमन्द)	12.00	120000		
	जिला उदयपुर				
83	नदी भेडच (उदयपुर-चित्तौडगढ़- भीलवाडा)	13.00	130000		
84	बंध डाया (सराडा)	8.00	80000		
	जिला चित्तौडगढ़				
85	बंध औराई सैचुरी ऐरिया छोडकर	38.00	380000		
86	बंध गंभीरी मय नदी	90.00	900000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला चित्तौड़गढ़				
87	बंध रूपारेल	10.00	100000		
88	बंध बाडी मानसरोवर	45.00	450000		
	जिला सिरोही				
89	बंध ओढ़ा मय नदी सिरोही	20.00	200000		
	जिला श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं हनुमानगढ़				
90	बध घग्घर डिप्रेशन 1 से 18 हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिला।घग्घर डाईवर्सन चैनल 0 से 158 आर डी तक एवं डाईवर्सन चैनल के स्केपमय गढ़डे। घग्घर नदी एवं उसके समस्त गढ़ड टिब्बी स्केप से अनुपगढ़ तक(राजस्थान सीमा) इंदिरा गांधी नहर जिला श्रीगंगानगर बीकानेर एवं हनुमानगढ़ तथा उसकी समस्त शाखाएँ श्रीगंगानगर एवं बीकानेर की कंवरसेन लिफ्ट कैनाल वीरधवाल हेड से बीकानेर तक को छोडकर) इंदिरा गांधी नहर फीडर एवं उसकी समस्त शाखाएँ (राजस्थान सीमा)गंग कैनाल, भाखडा कैनाल व उसकी समस्त शाखाएँ (मय बोरोप्टिस। अमरसिंह कैनाल एवं उसकी समस्त शाखाएँ राजस्थान सीमा इंदिरा गांधी नहर आर डी 750 के स्केप तथा समस्त डिप्रेशन इंदिरा गांधी नहर आर डी 507 के स्केप चैनल घेघडा झील तथा समस्त डिप्रेशन जिला श्रीगंगानगर,बीकानेर एवं हनुमानगढ़।	90.00	900000		
	जिला डूंगरपुर				
91	बंध लोडेश्वर	22.00	220000		
92	बंध बोडीगामा	20.00	200000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपये में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला अजमेर				
93	फायसागर (फाईसागर)	12.00	120000		
94	बंध लसाड़िया	8.00	80000		
95	बंध बिसुन्दनी	20.00	200000		
	जिला नागौर				
96	बंध कुण्डल (मेड़ता सिटी)	7.00	70000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

नीलामी निविदा प्रपत्र

निविदा खोलने की दिनांक – 28.03.18

विषय:- 'ख' श्रेणी के जलाशयों /नदियों/नहरों एवं नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका सीमा में आने वाले 'ख', 'ग' व 'घ' श्रेणी के जलाशयों को मत्स्याखेट टेके वर्ष 2018-19 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार नीलामी निविदा प्रपत्र।

1- निविदादाता का नाम :- _____

2- पिता/पति का नाम :- _____

3- (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड :- _____

दूरभाष नम्बर - _____

मोबाइल नम्बर- _____

(2) स्थाई पता:- _____

4- संदर्भ :- नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक:- एफ.2 (4) निम /लेखा /टेका
/2018-19/21510 दिनांक:- 08.03.2018

5- पता जिस पर निविदा आयुक्त मत्स्य विभाग, राज0, जयपुर।
भेजनी है :- पशुधन भवन, गांधीनगर मोड़, जयपुर।

6- नीलामी निविदा शुल्क रुपये 400/- नकद रसीद संख्या- _____

दिनांक _____ अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या- _____

दिनांक _____

7- नीलामी निविदा विज्ञप्ति की शर्तानुसार जमा कराये गये/जाने वाली अमानता राशि का विवरण:-

बैंक ड्राफ्ट	क्रमांक	दिनांक	राशि
--------------	---------	--------	------

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(4)निम/लेखा/टेका/2018-19/21510 दिनांक 08.03.2018 में वर्णित सभी शर्तें पढ़ ली हैं तथा संलग्न शर्तों पर मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

स्टेजेज बढ़ोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की निविदा शर्त:-

नीलामी निविदा शर्तें वर्ष 2018-19

- 1 प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ जलाशय की आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशय के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।
- 2 निविदा के लिए समय सारणी निम्न प्रकार है:-

निविदा अंतिम दिनांक व समय	विक्रय की व	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी निविदा मांगी जा रही हैं
28.03.18 दोपहर 1.00 तक	बजे	28.03.18 दोपहर 2.00 तक	28.03.18 दोपहर 2.30 बजे	'ख', 'ग' एवं 'घ' प्रवर्ग के जलाशय (निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

- 3 प्रत्येक निविदादाता को निविदाओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि के ड्राफ्ट जो आयुक्त मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से देय होगा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अमानता के लिये चैक व लिफाफे में रखी गई राशि मान्य नहीं होगी। बिना अमानता राशि की निविदा मान्य नहीं होगी।
- 4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 5 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार सामान्यतः 5 वर्षों की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढ़ती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढ़ोत्तरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। शेष तदनुसार आगामी वर्षों के लिए बढी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।
- 6 निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 7 निविदादाता को अपनी निविदा को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- 8 सफल निविदादाता को अपनी निविदा राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर उसी दिन तुरन्त जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानता राशि को जप्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल निविदा रकम का साढे सात प्रतिशत (7.5)की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञा पत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि आयुक्त मत्स्य, राज0 जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई उसी जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 9 आयुक्त मत्स्य/निविदा समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 10 निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 11 ठेकेदार को निविदा में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
- 12 जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर निविदादाता तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
- 13 निविदादाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/आयुक्त मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- 14 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को निविदा देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ ई.डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- 15 अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित निविदादाता को जलाशय का मूल अनुज्ञा पत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि आयुक्त मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।
- 16 यदि किसी जलाशय के लिए विशेष निविदा शर्त उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त होगी या निविदा शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।
- 17 राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या-8 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके/नीलामी के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।
- 18 सफल निविदादाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।
- 19 निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं तार व पत्र मान्य नहीं होगा। तार द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
- 20 निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपना सही पता अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुंचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 21 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकडने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।
- 22 जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार को संबन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबन्धित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- 23 चालू वर्ष के ठेके की राशि एवं आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 24 मेरे द्वारा सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गईं और मैं विभाग के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।
- 25 निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी निविदा पत्र में अंकित किया जायेगा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 26 स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।
- 27 नीलामी के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।
- 28 जलाशय के प्रभावी जलक्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबन्धित कार्यों, आर0 एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।
- 29 मैंने/हम निविदादाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की निविदा की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी-खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2018-19 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'ख', 'ग' व 'घ' प्रवर्ग के जलाशयों/ नदियों/नहरों एवं नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका सीमा में आने वाले 'ख', 'ग' व 'घ' श्रेणी के जलाशयों हेतु दर अंकित करने हेतु तालिका :-

क्र० सं०	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयों में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला जयपुर			
1	बंध सागर (आमेर)	4.30	43000	
2	बंध रावतवाला (चाकसू)	0.20	2000	
3	बंध तालाब (आमेर)	1.90	19000	
4	बंध आकेडा (भावसागर)	0.40	4000	
	जिला सीकर			
5	बंध नानी बीहड़	2.00	20000	
	जिला टोंक			
6	बंध राठौडिया	2.50	25000	
7	बंध तालाब ईदगाह	1.00	10000	
8	बंध अन्नपूर्णा तालाब	0.40	4000	
9	बंध जानवास	0.20	2000	
	जिला कोटा			
10	नदी उजाड़ जिला कोटा-झालावाड	1.50	15000	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र० सं०	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला कोटा			
11	बंध लखावा	0.20	2000	
	जिला करौली			
12	बंध जलसैन (हिण्डोनसिटी)	3.70	37000	
13	बंध रणगंवा	4.00	40000	
	जिला बांसवाडा			
14	नदी माही (मुख्य डेम साईट से नीचे की ओर अगरपुरा पुल तक निषेध क्षेत्र को छोडकर)	1.70	17000	
15	बंध कागदी पिक अप वियर	0.55	5500	
	जिला बून्दी			
16	बंध जिग जैग डेम (लाखेरी)	0.90	9000	
17	बंध इन्द्रगढ तालाब (इन्द्रगढ)	0.35	3500	
	जिला झालावाड			
18	बंध चन्द्र सरोवर (गावडी)	1.60	16000	
19	बंध नया तालाब (ईदगाह रोड)	1.30	13000	
20	बंध मेला ग्राउण्ड (इकलेरा)	0.15	1500	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र० सं०	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला अजमेर			
21	बंध चौरसियावास	4.30	43000	
22	बंध सिन्दूरसागर	0.40	4000	
	जिला नागौर			
23	बंध पीर जी का नाका	1.60	16000	
	जिला सिरोही			
24	बंध कमेरी	2.50	25000	
25	बंध वासा	0.50	5000	
	जिला पाली			
26	बंध मण्डली	1.10	11000	
	जिला जोधपुर			
27	बंध उम्मेदसागर (जोधपुर शहर)	3.20	32000	
	जिला बांरा			
28	नदी बाण गंगा बांरा मांगरोल	0.90	9000	
	जिला चित्तौडगढ			
29	नदी ब्राह्मणी बेगू से लेकर भैंसरोड गढ तक सैन्चयूरी एरिया छोडकर	1.20	12000	
30	नदी बागन, बागन डेम के नीचे से लेकर भूतिया गांव एनीकट तक	1.70	17000	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र० सं०	जलाशय का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला चित्तौड़गढ़			
31	नदी औराई बस्सी डेम के ओवरफ्लो से भेड़च नदी तक	0.80	8000	
	जिला भरतपुर			
32	नदी के.पी.ड्रेन गोवर्धन ड्रेन राजस्थान सीमा तक भरतपुर	0.50	5000	
33	गिर्राज कैनल (मोती झील हैड के नीचे से) मय मैन ड्रेन बोराई हैड के नीचे से चिकसाना बंध से चिकसाना बंध आउटफाल (राजस्थान सीमा)	2.10	21000	

निविदादाता के हस्ताक्षर